न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 62 / 2017
दायर दिनांक – 20 / 07 / 2017
निर्णय दिनांक – 12 / 12 / 2017

अनवान

1. रतन लाल पिता देवजी जाट निवासी– कुण्डिया, तहसील रेलमगरा
2. शंकरी पिता देवजी जाट निवासी– कुण्डिया, तहसील रेलमगरा
3. नेसी पिता देवजी जाट निवासी– कुण्डिया, तहसील रेलमगरा
4. ईश्वर बाई पत्नि देवजी जाट निवासी– कुण्डिया, तहसील रेलमगरा
5. शान्ति लाल पिता अम्बा लाल जाट निवासी– कुण्डिया, तहसील रेलमगरा
6. कमला पत्नि अम्बा लाल जाट निवासी– कुण्डिया, तहसील रेलमगरा
7. राजु बाई अम्बा लाल जाट निवासी– कुण्डिया, तहसील रेलमगरा
8. पारस पिता नारायण जाट निवासी– कुण्डिया, तहसील रेलमगरा

वादीगण

बनाम

1. बक्षीराम पिता रामलाल जाट निवासी– कुण्डिया, तहसील रेलमगरा
2. पृथ्वीराज पिता नाथु जाट निवासी– कुण्डिया, तहसील रेलमगरा
3. गोवर्द्धन लाल पिता उदेराम जाट निवासी– कुण्डिया, तहसील रेलमगरा
4. मोटुलाल पिता गोवर्द्धन जाट निवासी– कुण्डिया, तहसील रेलमगरा
5. सोहनी बाई पत्नि पृथ्वीराज जाट निवासी– कुण्डिया, तहसील रेलमगरा
6. राधीबाई पत्नि पृथ्वीराज जाट निवासी– कुण्डिया, तहसील रेलमगरा
7. घनश्याम पिता पृथ्वीराज जाट निवासी– कुण्डिया, तहसील रेलमगरा
8. चांदी बाई पत्नि गोवर्द्धन जाट निवासी– कुण्डिया, तहसील रेलमगरा
9. गोपीलाल पिता उदेराम जाट निवासी– कुण्डिया, तहसील रेलमगरा
10. नारायण लाल पिता पृथ्वीराज जाट निवासी– कुण्डिया, तहसील रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

: : निर्णय : :

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया कि वादीगण के संयुक्त आधिपत्सय एवं स्वामित्व की आराजी संख्या संख्या 1345 रकबा … बिघा 13 बिस्वा जमीन मोजा कुण्डिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द की सीमा … स्थित है। नकल जमाबन्दी व नक्शाट्रेस की प्रमाणीत नकल साथ संलग्न है। उक्त

आराजीयात वादीगण के ही स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। इसमें प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 10 का कोई हक अधिकार नहीं है। वादीगण की आराजी संख्या 1345 के उत्तरी पूर्वी दिशा में प्रतिवादीगण की आराजीयात स्थित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 10 एक ही परिवार के है। जिन्होनें नाजायज गिरोह बना रखा है। वादीगण की उक्त आराजीयात संख्या 1345 से प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 10 वादीगण को ऐलानीया धमकियां देते रहते है कि हम इस भूमि पर जबरन कब्जा करेंगे तथा हांककर फसल की बुवाई करेंगे। जबकि वादीगण की इस भूमि पर फसल की बुवाई कर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 10 काफी खुखार प्रवृति के व्यक्ति होकर धनबल व भुजबल के आधार पर वादीगण की उक्त आराजी पर अतिक्रमण कर सकते है जिनका उनको काई हक अधिकार नहीं है। वादीगण सीधे साधे व्यक्ति है। एवं न्याय में विश्वास रखते है। ऐसी सुरत में वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 10 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाकर उन्हें ऐसी बेजा हरकत से रोका जा सके। अगर नहीं रोका गया तो वे कभी भी मौका पाकर वादीगण की उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण कर वादीगण को बेदखल कर देंगे। जिनसे वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी व नकदी में इसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। आज से लगभग 15 दिन पूर्व वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 10 के द्वारा गांव कुण्डिया में ऐलानियां धमकियां दी जा रही है कि अब हम तेरी इन भूमियों पर जबरन कब्जा करेंगे व तुम्हें इन भूमियों से बेदखल कर देंगे जिससे वादीगण के लिए यह वाद प्रस्तुत किया है। वादी पारस के पिता नारायण लाल की मृत्यु हो चुकी है तथा वादीगण शान्तीलाल व राजु बाई के पिता व कलमा बाई के पति अम्बालाल का देहान्त हो चुका है मगर रेकार्ड में अन्तकाल फैसल नहीं हुआ है। रेकार्ड में मृतक नारायण लाल व अम्बालाल का नाम दर्ज है। इसलिए इनके विधिक वारिसों को वादी बनाया गया है। वादीगण का वाद हेतुक आज से 20 दिन पूर्व प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 10 द्वारा वादीगण को उक्त आराजीयात पर कृषि कार्य करते हुए जबरदस्ती बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है तथा अन्तिम बार दिना 12.06.2017 को धमकियां दी तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 10 के स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत के विरूद्ध एवं वादीगण के पक्ष में इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि ग्राम कुण्डिया पटवार क्षेत्र कुण्डिया की वर्तमान आराजी संख्या 1345 रकबा 11 बिघा 13 बिस्वा जमीन पर या इसके किसी भूभाग पर प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 10 किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करे न ही वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करे। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 10 स्वयं करे या न ही अपने नौकर चाकर, ऐजेण्ट, मित्रगण आदि से ही उक्त गलत कृत्य करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये।

कलक्टर
(...अधिकारी)

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 रतनलाल एवं पीडब्ल्यू–02 शान्तिलाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–01 एवं नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–02 के प्रस्तुत किया गया।

वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

अतः वादी का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण की भूमि ग्राम कुण्डिया की वर्तमान आराजी संख्या 1345 रकबा 11 बिघा 13 बिस्वा जमीन पर या इसके किसी भू भाग पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करे न ही वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करे। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण करे एवं न ही अन्य किसी से ही उक्त गलत कृत्य करावें। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12/12/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा